भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1574
9 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

स्थानीय स्तर पर विनिर्मित इस्पात के लिए सहायता

1574. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू स्टेनलेस स्टील विनिर्माताओं ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार से सहायता मांगी है कि ऑटोमोबाइल, बर्तन जैसे क्षेत्र विदेशों से सस्ते इस्पात का आयात करने के बजाय स्थानीय स्तर पर विनिर्मित इस्पात की खरीद करें, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उन्होंने सरकार से यह आश्वासन भी मांगा है कि घरेलू उद्योग को बचाने के लिए गैर-भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) वाले इस्पात उत्पादों की बिक्री संबंधी के तहत अनुमति स्टेनलेस स्टील के आयात पर की जाने वाली छूट को 31 दिसम्बर, 2025 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा;
(ग) क्या यह भी सच है कि घरेलू उद्योग विदेशी इस्पात को 20 से 25 प्रतिशत सस्ती दरों पर खरीद रहे हैं, इसलिए वे स्थानीय स्तर पर विनिर्मित इस्पात खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि लगभग 150 मिलें बंद हो गई हैं और अन्य 50 मिलों के उत्पादन में कटौती की गई है; और
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। उत्पादन, निवेश, आधुनिकीकरण, रोजगार, आयात आदि जैसे निर्णय व्यक्तिगत कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण और बाजार की स्थितियों पर निर्भर करतें हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में शामिल इस्पात उत्पादों को बीआईएस द्वारा निर्धारित मानक का पालन करना आवश्यक है। घरेलू एमएसएमई के लिए पर्याप्त घरेलू उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए स्टेनलेस स्टील सहित छूट प्रदान की गई है।

जारी...2/-

सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

2. देश के भीतर मूल्यवर्धित इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजी निवेश आकर्षित करके आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ।

3. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में सुधार करना।

4. उद्योग, उपभोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश शुरू करना, जिससे घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*****